न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 106 / 2021 GCMS NO- 2021/157

1. करणसिंह पुत्र
2. भलेराम पुत्र
3. महेन्द्र सिंह पुत्र

} दरियासिंह जाति जाट निवासी मुरादपुर।

4. वेदो देवी पत्नी
5. प्रमीला पत्नी अनुपसिंह पुत्र वधु दरियासिंह जाति जाट निवासी मुरादपुर।
6. निरज पुत्री अनुपसिंह नवीरा दरिया सिंह जाति जाट निवासी मुरादपुर।
7. धीरज पुत्र अनुपसिंह नवीरा दरियासिंह जाति जाट निवासी मुरादपुर।
8. दैल्लाराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी मुरादपुर।
9. सहीराम पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी मुरादपुर।
10. हरदयाल पुत्र दानाराम जाति जाट निवासी मुरादपुर।
11. मुन्नी देवी पत्नी सुजानसिंह नवीरा दानाराम जाति जाट निवासी मुरादपुर।
12. अशोक पुत्र सुजानसिंह नवीरा दानाराम जाति जाट निवासी मुरादपुर।
13. सुनील पुत्र सुजानसिंह नवीरा दानाराम जाति जाट निवासी मुरादपुर।
14. प्रियंका पुत्री सुजानसिंह नवीरा दानाराम जाति जाट निवासी मुरादपुर।

............प्रार्थीगण

बनाम

1. शीशराम पुत्र चन्दगीराम जाति जाट निवासी मुरादपुर तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

.... अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट</u>

उपस्थित :–

1. प्रार्थीगण की ओर से – श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता
2. अप्रार्थी की ओर से – श्री नरेश भारद्वाज अधिवक्ता

–:निर्णयः–

दिनांक : 07–12–2022

(1) प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि– वाके ग्राम मुरादपुर तहसील बुहाना में स्थित भूमि जमाबंदी सं. 20[illegible] के हाल खसरा नम्बर 133 रकबा 0.39 है., खसरा नम्बर 0.52 है. खसरा न[illegible] 23[illegible] रकबा 1.04 है. खसरा नम्बर 233 रकबा 1.41 है., खसरा नम्बर [illegible] रकबा 2.25 है. खसरा नम्बर 447 रकबा 0.67 है. खसरा नम्बर 581 रकबा 0.64 है., खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.97 है., कुल [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:54:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

कुल रकबा 7.89 है. के संयुक्त खातेदारी कास्तकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व दावे में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 दर्ज रिकार्ड है। जिसमें 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वज दानियां का था तथा हिस्सा 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 व दावें में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के पूर्वज चन्दगी का था। इनकी मृत्यु होने पर उक्त हिस्सा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज हो गया है। इस प्रकार से वर्तमान में वाद वर्णित भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/50 हिस्सा प्रार्थी संख्या 2 का 1/50 हिस्सा प्रार्थी 3 का 1/50 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 4 का 1/50 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 से 7 का हिस्सा 1/50 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 8 का 1/10 हिस्सा, प्रार्थी का 1/10 हिस्सा प्रार्थी 9 का 1/10 प्रार्थी संख्या 11 से 14 का हिस्सा का 1/10 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। तथा अप्रार्थी संख्या 1 व दावे में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की माता सुरस्ती फौत हो चुकी है, इसलिए उसका 1/10 हिस्सा भी अप्रार्थी संख्या 1 व दावे के प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 को ही उसके वारिसान होने से मिल चुका है। इसलिए अब वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, दावे में दर्ज प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8, प्रतिवादी संख्या3 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/8 हिस्सा है, वर्णित भूमि का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने आपस में बाहमी बंटवारा कर रखा है। उसी अनुसार मौके पर काबिज कास्त है तथा कुछ ने मकान भी बना रखे है तथा उसी बाहमी बंटवारे के अनुसार मौके पर कास्त करते आ रहे है। बाहमी बुटवारे के अनुसार प्रार्थीगण के हिस्से में हाल खसरा नम्बर 233 रकबा 1.41 है. सम्नपूर्ण तथा शेष हिस्सा अन्य खसरा नम्बरों में आया हुआं है। जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 ने मकान बनाकर रखे है। खसरा नम्बर 231 के दक्षिण सीमा से लगाता हुआं एक रास्ता है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है। उसी के आस पास घुडाराम व अन्य के मकान बने हुए है। प्रार्थीगण के हिस्से में आई खसरा नम्बर 233 के दक्षिण के दक्षिण में खसरा नम्बर 231 है जिसके दक्षिण में रास्ता है। इसी रास्ते सें खसरा नम्बर 231 की पूर्वी सीमा के सटकर बाहमी बंटवारे अनुसार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 233 तक जाने के लिए रास्ता छोड रखा है। उसी रास्ते से जाकर प्रार्थीगण अपनी भूमि को कास्त करते है। उक्त रास्ते खसरा नम्बर 233 की सीमा तक है। तरकि प्रार्थीगण अपनी भूमि को कास्त कर सके । प्रार्थीगण की भूमि को कास्त करने के लिए खसरा नम्बर 231 में पूर्वी मेढ के सहारे –सहारे 12 फुट चौडा रास्ता छोडा था। उक्त रास्ते से सटकर अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने मकान बना रखे है। लेकिन अब अप्रार्थी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई है। इसलिए वह जबरन लठ के जोर से खसरा नम्बर 231 की पूर्वी तरफ छोडे गये रास्ते की भूमि पर जबरन तारबाड करके बन्द करने पर उतारू है। इसके लिए पोल भी गाडने का प्रयास किया यदि अप्रार्थी संख्या 1 1 अपने उक्त कृत्य में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुल्याकंन नही किया जा सकता है। तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि कास्त करने में वंचित रह जायेगें। प्रार्थीगण के मकान बने हुए है अपने मकानों में जाने नही जा सकेगें। इसलिए ... आवश्यक हो जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ... पाबन्द करवाऐं कि जब तक वाद वर्णित भूमि बंटवारा नही हो जाता तब तक खसरा नम्बर 231 की पूर्वी मेंढ के सहारे –सहारे दक्षिण से उत्तर 12 फुट चौडे रास्ते पर कोई अतिक्रमण ना करे तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:54:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

ना ही उसमें कोई तारबाड लगाकर बन्द करे। यह कि प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

अतःप्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

(क) कि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ग्राम मुरादपुर तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 231 रकबा 1.04 है. की पूर्वी मेंढ के सहारे –सहारे दक्षिण से उत्तर की सीमा खसरा नम्बर 233 की सीमा तक 12 फुट चौडाई में कोई पीलर गाड कर तारबाड ना करे, ना ही कोई निर्माण करे। ऐसा ना स्वयं करे और ना ही अपने एजेन्ट्स या सर्वेन्ट्स आदि से करवावें।

(2). प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी की सम्यक तामिल होकर प्राप्त हुई। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जबाव पेश किया गया।

(3). **अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया है कि**–वाद वर्णित भूमि का बाहमी बंटवारा किया जाना स्वीकार है व अपने अपने हिस्से में मकान भी बन हुए होना स्वीकार है। प्रार्थी खसरा न्म्बर 233 में मकान मकानात बनाना स्वीकार है अप्रार्थी खसरा नम्बर 231 में कब्जाकास्त व मकानात स्वीकार है। खेत खसरा नम्बर 231 के दक्षिण सीमा से होकर एक रास्ता जाना स्वीकार है। और खेत खसरा न्म्बर 233 की सीमा के सहारे–सहारे आगे आबादी में जाता है। प्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 233 भी रास्ते पर स्थित है व पश्चिम दिशा में आबादी बसी हुई है। प्रार्थीगण इसी आम कटानी रास्ते से अपने खेत व धरों में आते जाते है। धुडाराम जबावदाता का भाई है। जिनके हिस्से में आई भूमि पर उसके मकानात बना रखा है। खसरा नम्बर 233 में ही प्रार्थीगण संख्या 11 से 14 ने अप्रार्थी बालुराम अपने धरो तक रास्ता खरीदा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 231 में अप्रार्थी बालुराम से अपने धरो तक रास्ता खरीदा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 231 में प्रार्थीगण का हक अधिकार है। अप्रार्थी के हिस्से में आये खेत में से होकर कभी आना जाना नही रहा है। ना ही कोई रास्ता छोडा गया था। बल्कि जबावदाता ने अपनी सुविघा व अपने मकानों में आने जाने के लिए अपनी स्वयं के हिस्से में से भूमि छोड रखी है। जिसकी बाबत प्रार्थीगण को कोई अधिकार व सम्बन्ध सरोकार नही है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 233 की पश्चिमी सीमा से सटकर यह आम रास्ता आबादी में जाता है इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेत तक अपनी जगह यह रास्ता आबादी को जाता है। इसी रास्ते से अपने मकान व कुए पर जाते है। जबावदाता ने अपने मकानों से आम रास्ते तक अपनी जगह छोडरखी है ना ही खेत खसरा न्म्बर 233 की सीमा तक नजरी नक्शा गलत पेूश किया है। वास्तविक स्थिति का नक्शा जबाव के साथ पेश है। अतः अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र हर्जे खर्चे सहित फरमाया जाने की कृपा करें।

(4) प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत 2075–78 खाता संख्या 49, हस्तगत नजरी नक्शा की फोटो प्रति पेश की गई।

(5) बहस उभय पक्षकारान विस्तार से सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अनुसरण किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:54:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(6). **प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि–** प्रश्नगत वाद वर्णित भूमि पक्षकारान की सह खातेदारी की भूमि है। वर्णित भूमि का प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने आपस में बाहमी बंटवारा कर रखा है। उसी अनुसार मौके पर काबिज कास्त है तथा कुछ ने मकान भी बना रखे है तथा उसी बाहमी बंटवारे के अनुसार मौके पर कास्त करते आ रहे है। बाहमी बंटवारे के अनुसार प्रार्थीगण के हिस्से में हाल खसरा नम्बर 233 रकबा 1.41 है. सम्पूर्ण तथा शेष हिस्सा अन्य खसरा नम्बरों में आया हुआं है। जिसमें प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 ने मकान बनाकर रखे है। खसरा नम्बर 231 के दक्षिण सीमा से लगाता हुआं एक रास्ता है जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है। उसी के आस पास घुडाराम व अन्य के मकान बने हुए है। प्रार्थीगण के हिस्से में आई खसरा नम्बर 233 के दक्षिण के दक्षिण में खसरा नम्बर 231 है जिसके दक्षिण में रास्ता है। इसी रास्ते सें खसरा नम्बर 231 की पूर्वी सीमा के सटकर बाहमी बंटवारे अनुसार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 233 तक जाने के लिए रास्ता छोड रखा है। उसी रास्ते से जाकर प्रार्थीगण अपनी भूमि को कास्त करते है। उक्त रास्ते खसरा नम्बर 233 की सीमा तक है। ताकि प्रार्थीगण अपनी भूमि को कास्त कर सके । प्रार्थीगण की भूमि को कास्त करने के लिए खसरा नम्बर 231 में पूर्वी मेढ के सहारे –सहारे 12 फुट चौडा रास्ता छोडा था। उक्त रास्ते से सटकर अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने मकान बना रखे है। लेकिन अब अप्रार्थी संख्या 1 के मन में बेईमानी आ गई है। इसलिए वह जबरन लठ के जोर से खसरा नम्बर 231 की पूर्वी तरफ छोडे गये रास्ते की भूमि पर जबरन तारबाड करके बन्द करने पर उतारू यदि अप्रार्थी बिना खाता विभाजन करवाये प्रार्थीगण के रास्ते बन्द करकर देते है तो प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। इसलिये प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो जाता है वो अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाये कि वो जब तक वाद वर्णित भूमि का विभाजन न हो तब तक रास्ते बन्द नही करे।

(7) **अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया की –** विवादित भूमि पर काबिज काश्त होना स्वीकार है। उक्त विवादित भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी का संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमियों भी पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी है तथा पक्षकारान का अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज कास्त है। प्रार्थीगण वाद पत्र में विरोधाभासी तथ्य दर्ज कर रहे है प्रार्थीगण एक तरफ तो वादपत्र में पक्षकारान का विवादित भूमियों का पारस्परिक सहमती से मींट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन होना मानकर उन पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त होना दर्ज कर रहें है वही दूसरी तरफ विधि अनुसार विवादित भूमि का बंटवारा नही होना दर्ज करते है । अप्रार्थी व प्रार्थीगण से कोई रंजिश नही रखता है। विवादित भूमियों का पक्षकारान [illegible] मींट्स एण्ड बाऊण्ड्स विभाजन कर रखा है तथा वे अपने [illegible] काबिज कास्त है। प्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 233 भी [illegible] पश्चिम दिशा में आबादी बसी हुई है। प्रार्थीगण इसी आम कटानी [illegible] व धरों में आते जाते है। धुडाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:54:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

(सुनिल कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

जबावदाता का भाई है। जिनके हिस्से में आई भूमि पर उसके मकानात बना रखा है। खसरा नम्बर 233 में ही प्रार्थीगण संख्या 11 से 14 ने अप्रार्थी बालुराम अपने धरो तक रास्ता खरीदा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 231 में अप्रार्थी बालुराम से अपने धरो तक रास्ता खरीदा है। इस प्रकार खसरा नम्बर 231 में प्रार्थीगण का हक अधिकार है। अप्रार्थी के हिस्से में आये खेत में से होकर कभी आना जाना नही रहा है। ना ही कोई रास्ता छोडा गया था। बल्कि जबावदाता ने अपनी सुविधा व अपने मकानों में आने जाने के लिए अपनी स्वयं के हिस्से में से भूमि छोड रखी है। जिसकी बाबत प्रार्थीगण को कोई अधिकार व सम्बन्ध सरोकार नही है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 233 की पश्चिमी सीमा से सटकर यह आम रास्ता आबादी में जाता है इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेत तक अपनी जगह यह रास्ता आबादी को जाता है। इसी रास्ते से अपने मकान व कुए पर जाते है। जबावदाता ने अपने मकानों से आम रास्ते तक अपनी जगह छोड रखी है ना ही खेत खसरा न्बर 233 की सीमा तक नजरी नक्शा गलत पूेश किया है। वास्तविक स्थिति का नक्शा जबाव के साथ पेश है। अतः अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का यह प्रार्थना–पत्र हर्जे खर्चे सहित फरमाया जाने की कृपा करें।

(7) प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये तीन आवश्यक विचारणीय बिन्दुओं पर गौर किया गया है।

1. <u>प्रथम दृष्टया प्रकरण</u> (Prima facie Case):–

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उद्धृत करते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित भूमि का विभाजन Meets and Bound के आधार पर विधिवत रूप से कभी नही हुआ। अप्रार्थी/प्रतिवादी स0 1 ने मौके पर प्रार्थीगण/वादीगण की सयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि में रास्ता छोड रखा है जिससे प्रार्थीगण अपनी मकानात व कुए आते जाते है। तथा फसल कास्त करते है। जिसको अप्रार्थी द्वारा बन्द कर दिया है। ऐसा कृत्य करने का हक अधिकार अप्रार्थी को नही है।

जबकि विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के जवाब में उल्लेखित तथ्यों को उद्धृत करते हुए तर्क किया कि वाद वर्णित भूमि में खातेदारों ने आपस में बटवारा कर रखा था तथा उसी अनुसार काबिज कास्त चले आ रहे है । अप्रार्थी बतौर काबिज कास्त है। अप्रार्थी ने भी बाहमी बंटवारे में आये खेत मे मकानात बनाकर आबाद है और कुए बनाकर रखा है। अप्रार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अपने हिस्से में आई भूमि में रास्ता छोड रखा है ना की प्रार्थीगण की सुविधा के अनुसार है। जबकि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 231 में अप्रार्थी बालुराम से अपने धरो तक रास्ता खरीदा है। इसी खसरा नम्बर 231 में प्रार्थीगण का हक अधिकार है। अप्रार्थी के हिस्से में आये खेत में से होकर कभी आना जाना नही रहा है। ना ही कोई रास्ता छोडा गया था। बल्कि जबावदाता ने अपनी सुविधा व अपने मकानों में आने जाने के लिए अपनी स्वयं के हिस्से में से भूमि छोड रखी है। जिसकी बाबत प्रार्थीगण को कोई अधिकार व सम्बन्ध सरोकार नही है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 233 की पश्चिमी सीमा से सटकर यह आम रास्ता आबादी में जाता है इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेत तक अपनी जगह यह रास्ता आबादी को जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 16:54:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दोनो विद्वान अधिवक्ताओं को सुने के उपरान्त प्रश्नगत भूमि में खातेदारों ने आपस में बटवारा कर रखा था तथा उसी अनुसार काबिज कास्त चले आ रहे है । अप्रार्थी बतौर काबिज कास्त है। अप्रार्थी ने भी बाहमी बंटवारे में आये खेत मे मकानात बनाकर आबाद है और कुए बनाकर रखा है। अप्रार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अपने हिस्से में आई भूमि में रास्ता छोड रखा है ना की प्रार्थीगण की सुविधा के अनुसार है। जबकि प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 231 में अप्रार्थी बालुराम से अपने धरो तक रास्ता खरीदा है। इसी खसरा नम्बर 231 में प्रार्थीगण का हक अधिकार है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 233 की पश्चिमी सीमा से सटकर यह आम रास्ता आबादी में जाता है इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपने खेत तक अपनी जगह यह रास्ता आबादी को जाता है। ना की अप्रार्थी के हिस्से में आई भूमि में से जाना आना होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी के पक्ष में जाता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– इस बिन्दु के संबंध में यह तथ्य प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है वाद वर्णित भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संयुक्त खातेदारी भूमि है। वाद वर्णित भूमि का विधिवत् बंटवारा नही हुआं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के हिस्से कब्जे की भूमि से जबरन रास्ता कायम करना चाहता है। जिससे अप्रार्थी को अपूर्तिनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता है। सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है। इसलिए यह बिन्दु भी अप्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है।
3. <u>अपूर्तनीय क्षति</u>– इस बिन्दु के संबंध में यह प्रथम दृष्टया ही साबित है कि कोई भी व्यक्ति किसी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार हस्तक्षेप नही कर सकता। इसलिए अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही पाया जाता है।

इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए आवश्यक तीनों ही बिन्दु अप्रार्थी के पक्ष में बनते है तथा प्रार्थीगण के विरूद्व पाये जाते है। ऐसी स्थिति में यह आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य है।

अतः न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य पाता है।

<u>आदेश</u>

प्राथीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणनीय नही से खारीज किया जाता **है**।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 07–12–2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सर इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.01.03 15:54:11 IST
Reason: SelfAttested